email

(1)

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/समवन्य/2021/शासन पत्र/05/1440 भोपाल,दिनांक 05/03/2022

प्रति,

1. संयुक्त संचालक/उप संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय - भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा।

2. सचिव
कृषि उपज मंडी समिति ..(समस्त).. जिला ...(समस्त).....

विषय :- Regarding support of other Department in activity Mass Drug administration (MDA) under Elimination of Lymphatic Filariasis (ELF) के संबंध में ।

सन्दर्भ :- अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पत्र क्रमांक : 367/2022/14(AGR)(55401) दिनांक 03/03/2022।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (संलग्न) का अवलोकन करें एवं आपेक्षित विषय पर नियमांनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जावे एवं इस संबंध में की गई कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत कराया जावे ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

संयुक्त संचालक (समन्वय)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

03/03/2022

क्रमांक: 367/2022/14(AGR) (55401)

प्रति,

1. संचालक
   किसान कल्याण तथा कृषि विकास/कृषिअभियांत्रिकी/राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान, म.प्र.भोपाल।
2. प्रबंधक संचालक,
   म0प्र0राज्यकृषि विपणन बोर्ड/ म0प्र0राज्य बीज एवं फर्म विकास निगम/ म0प्र0राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था/ म0प्र0राज्यजैविक प्रमाणीकरण, भोपाल (म.प्र)
3. कुलसचिव ज0ने0कृ0वि0वि0 जबलपुर/रा0ति0सिं0कृ0ति0वि0, ग्वालियर, म.प्र.।

विषय:- Regarding support of other Department in activity Mass Drug Administration (MDA) under Elimination of Lymphatic Filariasis (ELF) के संबंध में।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक/व्ही.बी.डी/डी-4/2022/185 दिनांक 18/02/2022

--00--

कृपया संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। पत्र में अपेक्षित विषय पर नियमानुसार कार्यवाही कर समय सीमा में अवगत कराने हेतु अनुरोध है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

Digitally signed by JITENDRA SINGH PARIHAR
Date:Thu Mar 03 14:27:33 IST 2022
Reason:Approved

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
क्र. Mand/4068 दि. 03/3/2022
शाखा JD(Coordination)
नि.स. प्रबंध संचालक

समन्वय

JD(ms)864
7/3/22

8/3/22

/2022/14(O/o PS)

rom : Ajit Kesari (psagriculture@mp.gov.in)
To : ramesh.jaisinghani@mp.gov.in
Cc :
Subject : Fwd: Regarding support of other Department in activity Mass Drug Administration (MDA) under Elimination of Lymphatic Filariasis (ELF)
Date : Feb 21 2022 17:15 PM

Agri Estb

From: "vbdcp mp" <vbdcp_mp@rediffmail.com>

Sent: Monday, February 21, 2022 3:30:53 PM
Subject: Regarding support of other Department in activity Mass Drug Administration (MDA) under Elimination of Lymphatic Filariasis (ELF)

Pease find the attachment

With Regards

Vector Borne Disease Control Programme
Directorate of Health Services
Bhopal, M.P.

559041/2022/14(O/o PS)

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक: 18/02/2022

क्रमांक / व्ही.बी.डी. / डी–4 / 2022 /185

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल म.प्र.।
2. अपर मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल म.प्र.।
3. अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल म.प्र.।
4. प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल म.प्र.।
5. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म.प्र.।
6. प्रमुख सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल म.प्र.।
7. प्रमुख सचिव, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय भोपाल म.प्र.।
8. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय भोपाल म.प्र.।
9. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय भोपाल म.प्र.।
10. प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल म.प्र.।
11. प्रमुख सचिव, वन विभाग, मंत्रालय भोपाल म.प्र.।
12. प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, मंत्रालय भोपाल म.प्र.।

विषयः– राष्ट्रीय फायलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों के सहयोग हेतु प्रारंभिक जिम्मेदारियों के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के
अंतर्गत Elimination of Lymphatic Filariasis (ELF) के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष
Mass Drug Administration (MDA) का आयोजन किया जाता है। वर्तमान मे प्रदेश के
02 जिलों क्रमशः जिला टीकमगढ़ एवं निवाड़ी मे दिनांक 21 फरवरी 2022 से आगामी 10
दिवस तक एम.डी.ए. की गतिविधि प्रारंभ की जावेगी। एम.डी.ए. की गतिविधि हेतु निर्धारित
अवधि के प्रथम दिवस में दवा सेवन कार्य प्रारंभ किया जावेगा तथा आगामी 6 कार्य दिवस
मे (कुल 07 कार्य दिवस) समस्त लक्षित जनसमुदाय को दवा सेवन कराकर लक्ष्य को पूर्ण
किया जाना है, तत्पश्चात उपरोक्त तिथियों के दौरान किये गये प्रयास के बाद भी यदि
लक्षित व्यक्ति की उपलब्धता संबंधित क्षेत्र मे नहीं हो तो ऐसे छूटे हुए व्यक्तियों को आगामी
03 कार्य दिवस तक मॉप अप राउण्ड के द्वारा दवासेवन कराकर निर्धारित लक्ष्य (समस्त
लक्षित जनसमुदाय को दवा सेवन कराने का लक्ष्य) अनिवार्यतः पूर्ण कराया जाना है।

/2022/14(O/o PS) गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु जिले के समस्त लक्षित नागरिकों जिसमे 2 वर्ष ऊपर के सभी बच्चों एवं वयस्क सम्मिलित है, को डी.ई.सी 100 मि.ग्रा. की गोली का उम्र के अनुसार एवं एल्बेंडाजोल 400 मि.ग्रा. की गोली का सेवन स्वास्थ्य कार्यकर्ता/वालेंटियर के द्वारा घर–घर भ्रमण कर समक्ष मे कराया जाना है । इस गतिविधि में 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं गंभीर बीमारी वाले व्यक्तियों को दवाईयों का सेवन नहीं कराया जावेगा। विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	आयुवर्ग	औषधि सेवन का विवरण / Streamlined Dose			
		डी.ई.सी 100 मि.ग्रा. गोली की संख्या	मात्रा (मि.ग्रा.)	एल्बेण्डाजोल 400 मि.ग्रा. गोली की संख्या	मात्रा (मि.ग्रा.)
1	02 वर्ष से कम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	02 वर्ष से 05 वर्ष	01 (एक)	100	01 (एक)	400
3.	06 वर्ष से 14 वर्ष	02 (दो)	200	01 (एक)	400
4.	15 एव 15 वर्ष से अधिक	03 (तीन)	300	01 (एक)	400

विदित होवे कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक फायलेरिया बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसकी प्राप्ति के लिये प्रदेश के समस्त जनसमुदाय के साथ–साथ समस्त सबंधित विभागों के सम्मिलित प्रयास से लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। उक्त गतिविधि के गुणवत्ता पूर्ण क्रियान्वयन हेतु आपके विभाग का भी सहयोग अपेक्षित है। राष्ट्रीय फायलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों के सहयोग हेतु कुछ प्रमुख जिम्मेदारियों/बिन्दुओं का विवरण निम्नानुसार है–

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग–

- मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान विभाग के सभी कर्मचारियों को फाइलेरिया रोधी दवा के सेवन करने हेतु प्रेरित करना।
- विभागीय कर्मचारियों को चिह्नित कर उनके द्वारा जन समुदाय को मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के महत्व से अवगत कराना एवं दवा सेवन हेतु प्रेरित करना।
- किसान सभा में फाइलेरिया संबंधित जानकारी देना एवं मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के दौरान दवा सेवन हेतु प्रेरित करना।
- कृषक मित्र, मत्स्य मित्र एवं पशु मित्र द्वारा जनसमुदाय को मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के महत्व से अवगत कराना एव दवा सेवन हेतु प्रेरित करना।

महिला एवं बाल विकास विभाग –

- सभी आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को दवा सेवक के रूप में सहयोग तथा हेतु चिह्नित करना एवं उनके निर्धारित क्षेत्र में समस्त लक्षित नागरिकों को समक्ष में दवा सेवन सुनिश्चित कराना।
- आंगनबाडी कार्यकर्ता / सहायिका द्वारा दवा का सेवन कराने में सहयोग प्रदान करना।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका द्वारा जन–समुदाय को दवा का सेवन के महत्व से अवगत कराना तथा दवा सेवन हेतु प्रेरित करना।
- लिम्फोडिमा एवं हाईड्रोसिल के मरीज की जानकारी नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में /स्वास्थ्य कार्यकर्ता को उपलब्ध कराना तथा उनके मोर्बेडिटी मेनेजमेंट तथा हाईड्रोसिल के मरीज के आवश्यकतानुसार आपरेशन सुनिश्चित कराने में सहयोग प्रदान करना।
- मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान विभाग के सभी कर्मचारियों को फाइलेरिया रोधी दवा के सेवन करने हेतु प्रेरित करना।

जल संसाधन विभाग–

- मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान विभाग के सभी कर्मचारियों को फाइलेरिया रोधी दवा के सेवन करने हेतु प्रेरित करना।
- विभाग के सभी कर्मचारियों के द्वारा जनसमुदाय को मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के महत्व से अवगत कराना एवं दवा सेवन हेतु प्रेरित करना।
- जिला एवं खण्ड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में भाग लेना।

सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग–

- मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान विभाग के सभी कर्मचारियों को फाइलेरिया रोधी दवा के सेवन करने हेतु प्रेरित करना।
- विभाग के सभी कर्मचारियों के द्वारा जनसमुदाय को मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के महत्व से अवगत कराना एवं दवा सेवन हेतु प्रेरित करना।
- विभाग के अंतर्गत संचालित संस्थानों में निवासरत नागरिकों को भी मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के महत्व से अवगत कराना एवं दवा सेवन हेतु प्रेरित करना।

स्कूल शिक्षा विभाग–

- शिक्षकों को मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम हेतु अवगत कराना एवं दवा सेवन हेतु प्रेरित करना।
- शिक्षकों के माध्यम से छात्रों को फाइलेरिया संबंधित जानकारी देना तथा दवा सेवन हेतु प्रेरित करना।
- सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षा संस्थानों में ऑनलाइन कक्षा के दौरान भी

 ... शिक्षकों द्वारा दवा के सेवन में सहयोग प्रदान करना।

- जिला एवं खण्ड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में भाग लेना।

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग –

- मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान विभाग के सभी कर्मचारियों को फाइलेरिया रोधी दवा के सेवन करने हेतु प्रेरित करना।
- पंचायती राज समिति के सदस्यों द्वारा दवा के सेवन में सहयोग प्रदान करना।
- ग्राम सभा के माध्यम से जन समुदाय को मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के महत्व तथा तिथि से अवगत कराना तथा दवा सेवन हेतु प्रेरित करना।
- लिम्फोडिमा एवं हाईड्रोसिल के मरीज की जानकारी नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में /स्वास्थ्य कार्यकर्ता को उपलब्ध कराना तथा उनके मोर्बेडिटी मेनेजमेंट तथा हाईड्रोसिल के मरीज के आवश्यकतानुसार आपरेशन सुनिश्चित कराने में सहयोग प्रदान करना।
- जिला एवं खण्ड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में भाग लेना।
- मनरेगा के अंतर्गत कार्य कर रहे कर्मी को दवा सेवन हेतु प्रेरित करना।

जनसंपर्क विभाग–

- मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान विभाग के सभी कर्मचारियों को फाइलेरिया रोधी दवा के सेवन करने हेतु प्रेरित करना।
- मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से पूर्व जन समुदाय में व्यापक प्रचार–प्रसार (समाचार पत्र, इलेक्ट्रानिक संचार माध्यम, एलईडी वैन, एलईडी डिस्प्ले, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से) करवाना।
- हाट बाजार में मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित जानकारी से जनसमुदाय अवगत कराना।
- अभियान के दौरान जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कराना।
- जिला एवं खण्ड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में भाग लेना।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग–

- सभी वार्ड कार्यालय एवं वार्ड सदस्य/पार्षद के माध्यम से मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के दौरान द्वारा जनसमुदाय को दवा लेने हेतु प्रेरित करना।
- मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, विभाग के सभी कर्मचारियों को फाइलेरिया रोधी दवा के सेवन करने हेतु प्रेरित करना।
- वार्ड सदस्य/पार्षद के माध्यम के माध्यम से निर्धारित क्षेत्र में फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन सुनिश्चित करवाना।

- आवासीय बस्ती/कालोनी/समिति में विभागीय कर्मचारी की सहयोग से दवा सेवन सुनिश्चित करवाना। इस हेतु संबंधित आवासीय परिसर के प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर समस्त रहवासी को दवा सेवन सुनिश्चित कराना।
- शहरी स्लम बस्तियों में भी विशेष प्राथमिकता के साथ फाइलेरिया रोधी दवा सेवन सुनिश्चित करना।
- जिला एवं खण्ड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में भाग लेना।

लोक निर्माण विभाग–

- मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, विभाग के सभी कर्मचारियों को फाइलेरिया रोधी दवा के सेवन करने हेतु प्रेरित करना।
- विभागीय कर्मचारियों को चिहित कर उनके द्वारा जनसमुदाय को मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के महत्व से अवगत कराना एवं दवा सेवन हेतु प्रेरित करना।
- सामुदायिक अभियान के माध्यम से मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के महत्व से अवगत कराना एवं दवा सेवन हेतु प्रेरित करना।
- श्रमिकों को उनके कार्य स्थल पर दवा सेवन सुनिश्चित कराना।

अनुसूचित जाति कल्याण, जनजातीय कार्य विभाग–

- मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान विभाग के सभी कर्मचारियों को फाइलेरिया रोधी दवा के सेवन करने हेतु प्रेरित करना।
- विभाग के सभी कर्मचारियों के द्वारा जनसमुदाय को मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के महत्व से अवगत कराना एवं दवा सेवन हेतु प्रेरित करना।
- विभाग के अंतर्गत संचालित संस्थानों में निवासरत नागरिकों को भी मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के महत्व से अवगत कराना एवं दवा सेवन हेतु प्रेरित करना।
- जिला एवं खण्ड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में भाग लेना।

वन विभाग –

- मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, विभाग के सभी कर्मचारियों को फाइलेरिया रोधी दवा के सेवन करने हेतु प्रेरित करना।
- विभागीय कर्मचारियों को चिहित कर उनके द्वारा जनसमुदाय को मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के महत्व से अवगत कराना एवं दवा सेवन हेतु प्रेरित करना।
- वन ग्रामों तथा वन विभाग के अंतर्गत आरक्षित क्षेत्रों में निवासरत जनसमुदाय को स्थानीय विभागीय कर्मचारी के माध्यम से मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के महत्व से अवगत कराना एवं दवा सेवन हेतु प्रेरित करना।

पशुपालन विभाग–

- मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान विभाग के सभी कर्मचारियों को फाइलेरिया रोधी दवा के सेवन करने हेतु प्रेरित करना।
- विभागीय कर्मचारियों को चिह्नित कर उनके द्वारा जन समुदाय को मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के महत्व से अवगत कराना एवं दवा सेवन हेतु प्रेरित करना।
- विभागीय कर्मचारियों के द्वारा उनके निर्धारित क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान भी जनसमुदाय को फाइलेरिया संबंधित जानकारी देना एवं मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के दौरान दवा सेवन हेतु प्रेरित करना।

उपरोक्त विभागवार गतिविधियों के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन हेतु आपके विभाग का सहयोग अपेक्षित है।

संलग्नः– मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हेतु जारी दिशानिर्देश की प्रति ।

(मोहम्मद सुलेमान)
अपर मुख्य सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक 18/02/2022

पृ.क्र./व्ही.बी.डी./डी–4/2022/186

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव (स्वास्थ्य), म.प्र.।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनम.प्र.।
3. निदेशक, एन.सी.वी.डी.सी. नई दिल्ली, 110054।
4. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
5. अपर संचालक,(व्ही.बी.डी.सी.पी.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
6. राज्य कार्यक्रम अधिकारी (व्ही.बी.डी.सी.पी.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
7. कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ एवं निवाड़ी, म.प्र.।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला टीकमगढ/निवाड़ी, म.प्र.।
9. जिला मलेरिया अधिकारी जिला टीकमगढ/निवाड़ी, म.प्र.।

18/2/22
अपर मुख्य सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मध्य प्रदेश

559941/2022/14(O/o PS)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

छठवींमंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

E-mail: vbdcp_mp@rediffmail.com

भोपाल, दिनांक 25/01/2022

क्रमांक / व्ही.बी.डी. / डी–4 / 2022 / 63

प्रति,

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   जिला– टीकमगढ़ / निवाड़ी, म.प्र.।
2. जिला मलेरिया अधिकारी,
   जिला– टीकमगढ़ / निवाड़ी, म.प्र.।

विषयः–जिला निवाड़ी में एम.डी.ए. (Mass Drug Administration) के आयोजन हेतु निर्धारित तिथियों की सूचना दिशानिर्देश बावत्।

संदर्भः–जिला मलेरिया अधिकारी छतरपुर का पत्र दिनांक 22.01.2022 एवं जिला मलेरिया अधिकारी टीकमगढ़ का ईमेल दिनांक 24.01.2022

उपरोक्त विषय में लेख है कि Elimination of Lymphatic Filariasis (ELF) की गतिविधि Mass Drug Administration (MDA) के आयोजन एवं गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु जिला टीकमगढ़ के साथ–साथ जिला निवाड़ी लिये तिथि का निर्धारण किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	जिले का नाम	एम.डी.ए. प्रारंभ कराने हेतु निर्धारित तिथि	एम.डी.ए. पूर्ण करने हेतु माप अप राउण्ड सहित निर्धारित तिथि	रिमार्क
1.	निवाड़ी	21.02.2022	21.02.2022 से 28.02.2022 मुख्य गतिविधि एवं आगामी 3 दिवस तक माप अप राउण्ड, कुल 10 कार्य दिवस	छूटे हुए जनसमुदाय को प्रथम दिवस से ही लक्षित करते हुये निर्धारित समय सीमा में दवा सेवक एवं सुपरवाईजर द्वारा बार–बार घर भ्रमण कर समस्त लक्षित जनसमुदाय को दवा सेवन कराने का लक्ष्य पूर्ण किया जाना है।

उपरोक्तानुसार एम.डी.ए. की गतिविधि हेतु कार्ययोजना तैयार किया जाना है जिस हेतु राज्य स्तर पर चर्चा उपरांत वर्तमान वर्ष में लिये गये निर्णय अनुसार कार्ययोजना तैयार करने एवं अन्य आवश्यक गतिविधियों हेतु बिंदुवार दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैं–

- निर्धारित तिथि के प्रथम दिवस में दवा सेवन कार्य प्रारंभ किया जावेगा तथा आगामी छः कार्य ... समस्त लक्षित जनसमुदाय को दवा सेवन कराकर लक्ष्य को पूर्ण

किया जाना है तत्पश्चात उपरोक्त तिथियों के दौरान किये गये प्रयास के पश्चात भी यदि लो व्यक्ति की उपलब्धता संबंधित क्षेत्र में नही हो तो ऐसे छूटे हुए लोगो को आगामी 03 दिन तक मॉप अप राउण्ड के द्वारा दवासेवन कराकर निर्धारित लक्ष्य (समस्त लक्षित जनसमुदाय को दवा सेवन कराने का लक्ष्य) अनिवार्यतः पूर्ण कराया जावे।

- फायलेरिया दिवस को 2 वर्ष से ऊपर के सभी बच्चों एवं व्यस्क (गर्भवती महिलाओं, अतिवृद्ध, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों एवं गंभीर बीमारी वाले व्यक्तियों को छोड़कर) समस्त नागरिकों को डी.ई.सी. 100 मि.ग्रा. की गोली का उम्र के अनुसार एवं एल्बेंडाजोल 400 मि.ग्रा. की गोली का सेवन दवा सेवक/स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा समक्ष में कराया जाना है ।

आयुवर्ग के अनुसार विवरण निम्नानुसार है–

क्र सं.	आयुवर्ग	औषधि सेवन का विवरण/ Streamlined Dose			
		डी.ई.सी. 100 मि.ग्रा. गोली की संख्या	मात्रा (मि.ग्रा.)	एल्बेण्डाजोल 400 मि. ग्रा. गोली की संख्या	मात्रा (मि.ग्रा.)
1.	02 वर्ष से कम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	02 वर्ष से 05 वर्ष	01 (एक)	100	01 (एक)	400
3.	06 वर्ष से 14 वर्ष	02 (दो)	200	01 (एक)	400
4.	15 एवं 15 वर्ष से अधिक	03 (तीन)	300	01 (एक)	400

- मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु निम्नानुसार गतिविधियां आवश्यक है–

1. **नाईट ब्लड सर्वे**– (यह कार्य मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पूर्व किया जाना आवश्यक होता है जो कि जिला निवाड़ी में नवीन 04 सेन्टीनल एवं 04 रेण्डम साइट बनाकर सर्वे का कार्य किया गया है जिसमे 01 साइट (बिरौराखेत) में कुल 500 रक्तपट्टी में से 09 एम.एफ. पाजिटिव पाये गये हैं इस प्रकार 1.8 प्रतिशत माइक्रो फायलेरिया रेट पाये जाने के कारण जिला निवाडी में मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जा रही है। जिला निवाड़ी में किये गये नाइट ब्लड सर्वे की फाइनल रिपोर्ट शीघ्र राज्य कार्यालय को प्रेषित की जावे)
2. **मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित प्रावधान अनुसार गतिविधिवार, तिथिवार कैलेण्डर तैयार करना**– (यह जानकारी आगामी 03 दिवस में राज्य कार्यालय को प्रेषित की जावे।)
3. **मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हेतु जिले का माईक्रोप्लान तैयार करना**– (यह कार्य विकासखण्ड वार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वार, उपस्वास्थ्य केन्द्र एवं ग्राम वार तैयार किया जाना है जिसमे प्राथमिकता से निम्न बिंदुओं को सम्मिलित किया जावे--

   - एक दल में न्यूनतम 02 दवा सेवक (Drug Administrator) को सम्मिलित किया जावे । प्रत्येक दवा सेवक द्वारा 250–400 जनसंख्या क्षेत्र में लक्षित जनसमुदाय को समक्ष में दवासेवन कराने का प्रावधान है इस प्रकार एक दल (02 दवा सेवक) के लिए 500 से 800 की जनसंख्या क्षेत्र में कार्य किया जाना होगा। स्थानीय भौगोलिक क्षेत्र/आशा कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र/आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्यक्षेत्र के दृष्टिगत वास्तविक जनसंख्या के आधार पर दवासेवक की संख्या का निर्धारण करते हुये दल का गठन किया जावे । यदि किसी आशा कार्यकर्ता के कार्य क्षेत्र में लगभग 1000 की जनसंख्या है तो उक्त क्षेत्र के लिये एक दल में

03 से 04 सदस्यों को सम्मिलित किया जा सकेगा जो कि सम्मिलित रूप से निर्धारित क्षेत्र में समस्त पात्र एवं लक्षित जनसंख्या का दवा सेवन समक्ष में कराने हेतु उत्तरदायी होंगे तथा लक्षित जनसंख्या को पूर्ण रूप से दवासेवन सुनिश्चित कराने उपरांत प्रत्येक दवा सेवक को रूपये 600/- प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदाय किया जा सकेगा।

- यदि किसी क्षेत्र/ग्राम/वार्ड की जनसंख्या एवं भौगोलिक स्थिति के आधार पर बनाये गये दवासेवक के दल में 03 या 03 से अधिक दवासेनक हों तो ऐसी स्थिति में 01 दवासेवक (Aanganwari Sahaika or Volunteer/Others) के द्वारा ऐसे घरों में पुनः भ्रमण कर नियमित रूप से समक्ष में दवा सेवक कराना सुनिश्चित किया जावेगा जहां किसी कारणवश कुछ हितग्राही **वर्तमान कार्यदिवस/विगत दिनों मे समक्ष में दवा सेवन से वंचित रह गये होंगे तथा यह प्रक्रिया तब तक की जावेगी जब तक कि समस्त जनसमुदाय को समक्ष मे दवा सेवन की प्रक्रिया पूर्ण न करली जावे ।**
- जिले में अगर किसी विशिष्ट आवादी (ईंट भट्ठा श्रमिक, मजदूर इत्यादि) के बारे में जानकारी है जो सुबह जल्दी घर से निकल रहे हैं या देर शाम को घर वापस आ रहे हैं तो हम उस क्षेत्र में एम.डी.ए. गतिविधि की योजना उनके कार्यक्रम के अनुसार कर सकते हैं ताकि अभियान में प्रत्येक लाभार्थी को एम.डी.ए. की दवा का सेवन सुनिश्चित कराया जा सके । ऐसे क्षेत्र की सूची अनिवार्य रूप से तैयार करें तथा स्थानीय परिस्थिति अनुसार कार्ययोजना तैयार की जावे ।
- जनसंख्या, प्रत्येक दल के लिये निर्धारित की जावे।
- आवश्यक दवाईयों की जानकारी,
- सुपरवाईजर के नाम दूरभाष सहित,
- रैपिड रिस्पांस टीम की जानकारी दूरभाष सहित,
- दवा सेवक का नाम, पद, पता, दूरभाष क्रमांक, खाता क्रमांक, खाते से संबंधित IFSC कोड की जानकारी अनिवार्य रूप से सम्मिलित की जावेगी।

स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक दवासेवक की उपस्थिति कार्यक्रम के दौरान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सुपरवाईजर एवं विकासखण्ड स्तर पर अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी (विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी की निगरानी में) समस्त दवा सेवकों से व्यक्तिगत चर्चा की जाना आवश्यक होगा।

4. <u>डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक का आयोजन</u>- (मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हेतु तिथि के पूर्व 02 बैठक (प्रथम बैठक तत्काल तथा द्वितीय बैठक निर्धारित तिथि के लगभग 01 माह पूर्व) **एवं 01 बैठक मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एक माह पश्चात किया जाना है) इसी प्रकार** विकासखण्ड स्तर पर Block Level Task Force का भी गठन किया जावे तथा बैठक का **आयोजन (मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हेतु तिथि के पूर्व 02 बैठक (प्रथम बैठक निर्धारित तिथि के** लगभग 01 माह पूर्व तथा द्वितीय बैठक 15 दिवस पूर्व) एवं 01 बैठक मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के 15 दिवस पश्चात उपलब्धि की समीक्षा हेतु किया जाना है) । यह बैठक अत्यंत आवश्यक है क्यों कि गतिविधि के सूक्ष्म विश्लेषण तथा आवश्यक व्यवस्था/योजना निर्धारण में उपयोगी होगी।
5. <u>चिकित्सा अधिकारियों/पैरामेडिकल स्टॉफ का प्रशिक्षण</u>- (मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की गतिविधि **एवं एडवर्स इफेक्ट में मेनेजमेंट हेतु) प्रशिक्षण में मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन** गतिविधि के दौरान

दवा सेवन पश्चात किसी भी प्रकार के एडवर्स इफेक्ट/प्रतिकूल प्रभाव के यथा उचित समाधान हेतु जानकारी अनिवार्यतः दी जावे तथा मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन गतिविधि के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन हेतु संबधित क्षेत्र के विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारियों एवं चिकित्सा अधिकारियों के साथ–साथ पैरामेडिकल स्टॉफ को प्रशिक्षण प्रदान किया जावे जिसमें मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन गतिविधि की पूर्ण जानकारी प्रदान कर उनके सहयोग तथा उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों के संबंध में अवगत कराया जाना आवश्यक है जिससे गतिविधि के दौरान कोई भी असुविधा न हो।

6. सुपरवाईजर एवं दवा सेवकों का प्रशिक्षण– (आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/वॉलेन्टीयर आदि जिनके द्वारा दवा का सेवन करवाया जाना है) यह कार्य प्राथमिकता से निर्धारित तिथि के एक सप्ताह पूर्व तक पूर्ण करा लिया जावे जिसमें दवा सेवक एवं सुपरवाइजर को उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य, मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हेतु संबंधित क्षेत्र का माइक्रोप्लान आवश्यक दवाइयों एवं सामग्री, रैपिड रिस्पांस टीम की जानकारी (दल के सदस्यों के नाम, पद एवं मोबाइल नंबर सहित) अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावे। सुपरवाइजर के द्वारा उनके अधीनस्थ दवा सेवक को प्रशिक्षण उपरांत मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व पुनः हैण्ड ऑन ट्रेनिंग प्रदान कर दवा सेवक के लिये आवश्यक सामग्री एवं दवाइयों की उपलब्धता का सत्यापन सुनिश्चित किया जावेगा। यदि किसी क्षेत्र में ऐसा पाया जाता है कि किसी दवा सेवक की मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान कार्य पर उपस्थित रहने में कोई संदेह है तो उसके विकल्प के रूप में अतिरिक्त दवा सेवक को चिंहित कर कार्य हेतु आवश्यक प्रशिक्षण सुनिश्चित कर लिया जावे।

7. आई.ई.सी/बी.सी.सी., सोशल मोबीलाईजेशन, डिस्ट्रिक्ट मीडिया वर्कशॉप एंव मीडिया कवरेज गतिविधियां– (यह कार्य प्रत्येक ग्राम स्तर तक सुनिश्चित किया जाना है जिससे मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित दिवसों एवं दवासेवन के महत्व की जानकारी जनसमुदाय तक पहुंचाई जा सके ऐसे प्रयास से दवा सेवन के लक्ष्य की पूर्ति में सहयोग प्राप्त होगा)। पूर्व से चिन्हित विशेष प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ घर–घर भ्रमण कर लोगों को दवा सेवन हेतु समझाइस दी जावे। मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, सूचना एवं जनसंपर्क, एग्रीकल्चर एवं एनिमल हसबेंड्री तथा शहरी विकास विभाग, के साथ–साथ अन्य विभागों के साथ अंर्तविभागीय समन्वय स्थापित किया जावे तथा गतिविधि के दौरान दवासेवन कराने में सहयोग प्राप्त किया जावे।

8. आवश्यक दवाईयों को दवा सेवक तक पहुँचाने की व्यवस्था– यह कार्य प्राथमिकता से दवा सेवक एवं सुपरवाइजर के प्रशिक्षण के दौरान ही सुनिश्चित कर लिया जावे। साथ ही रिजर्व स्टॉक सुपरवाइजर के पास भी रखा जावे। संबंधित विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके क्षेत्र में कार्य पर लगाये गये सुपरवाइजर की जिम्मेदारी निर्धारित कर समस्त दवा सेवक को पर्याप्त दवाइयों एवं सामग्री की उपलब्धता निर्धारित तिथि से कम से कम **03 दिवस पूर्व सुनिश्चित कर ली जावे । स्पष्ट किया जाता है कि निकट की अवसान अवधि की** दवाईयों को उपयोग अवसान अवधि के पूर्व प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जावे।

9. मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन प्लान, डेली इवनिंग समीक्षा बैठक एवं रिपोर्टिंग कार्य– यह कार्य मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान प्रत्येक दिन जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में तथा विकासखण्ड स्तर पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में **प्रतिदिन 10 कार्य दिवस तक कार्ययोजना अनुसार की जावे जिसमें लक्षित जनसंख्या को दवा**

सेवन सुनिश्चित कराने के समस्त विकल्पों पर चर्चा की जावे तथा प्रत्येक दिन वास्तविक दवा सेवन की जानकारी प्राप्त कर राज्य कार्यालय को भी प्रेषित की जावे।

10. फैमिली रजिस्टर अपडेट कराना– फैमिली रजिस्टर के प्रारूप का अवलोकन राज्य कार्यालय को कराने के उपरांत ही मुद्रण कार्य कराया जावे। इस वर्ष प्राथमिकता से यह प्रयास किया जावेगा कि फैमिली रजिस्टर का मुद्रण इस प्रकार किया जावे कि उसका उपयोग आगामी वर्षों में भी किया जा सके। (दवासेवक के द्वारा मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चिन्हित क्षेत्र एवं जनसंख्या से संबंधित निवासरत परिवार के सदस्यों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र/फैमिली रजिस्टर में अपडेट किया जाना होगा। यह कार्य मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित तिथि के 03 दिवस पूर्व तक अनिवार्यतः सुनिश्चित कर लिया जावे। इस हेतु दवा सेवक घर–घर भ्रमण कर जानकारी दर्ज करेंगे (आवश्यकता अनुसार विगत् वर्ष किये गये कार्य से संबंधित रजिस्टर से भी जानकारी प्राप्त कर मिलान किया जा सकेगा) साथ ही दवासेवन कराने हेतु निर्धारित तिथि जनसमुदाय को बताकर आवश्यक समझाइस भी देंगें जिससे कि समस्त लक्षित जनसमुदाय को दवासेवन कराने मे सहयोग प्राप्त होगा।

दवासेवन कराने के दौरान दवासेवक यह सुनिश्चित करेगे कि जिन व्यक्तियों के द्वारा उनके समक्ष में दवा का सेवन किया गया है उनके नाम के सामने सही (√) का निशान लगाकर चिन्हांकन करेंगे एवं शेष व्यक्तियों को भी आगामी समय/दिन में समक्ष में दवासेवन कराकर सही (√) का निशान लगाना सुनिश्चित करें, जिससे प्रतिदिन यह समीक्षा की जा सकेगी कि लक्षित जनसंख्या में से कितने व्यक्तियों को दवासेवन कराया जा चुका है एवं छूटे हुए व्यक्तियों को दवा सेवन कराने के लिए और अधिक प्रयास किया जाना है।

11. रैपिड रिस्पांस टीम का गठन– (इस दल में 01 चिकित्सक एवं उनके सहयोगी सदस्य होंगे एवं उनके पास आवश्यक दवाईयां उपलब्ध होंगी। इस दल के लिए 01 वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। यह दल प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर गठित किया जाना अनिवार्य होगा साथ ही मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान यह दल क्षेत्र भ्रमण पर रहकर आवश्यक होने पर किसी भी जनसमुदाय को एडवर्स इफेक्ट/प्रतिकूल प्रभाव होने की स्थिति में आवश्यक चिकित्सीय व्यवस्था/सहयोग/उपचार प्रदान करेगा)। विकासखण्ड स्तर पर उपलब्ध आर.बी.एस.के. के दल एवं उनके पास उपलब्ध वाहन को भी आपसी समन्वय से रैपिड रिस्पांस टीम के रूप में भी उपयोग हेतु प्रयास किया जावे।

12. **जिले के लिम्फएडिमा एवं हाईड्रोसील के रोगियों की जानकारी अद्यतन कराना–** दवासेवक के द्वारा घर–घर भ्रमण के दौरान उनके ग्राम/क्षेत्र में लिम्फएडिमा एवं हाईड्रोसील के रोगियों की जानकारी भी प्राप्त की जावेगी तथा पृथक से सूची तैयार कर प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा जिससे उनका उपचार/प्रबंधन शीघ्रतापूर्वक भारत सरकार के दिशानिर्देश अनुसार किया जा सके।

13. **मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान यह विशेष ध्यान रखा जावे कि कोविड–19 के दृष्टिगत** निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे जिसमें तथा BOWL Method उपयोग करते हुये सोशल डिस्टेंसिग के नियमों का भी पालन किया जावे।

आपको विदित है कि आपके जिलें में विगत कई वर्षो से एम.डी.ए. का आयोजन किया जा रहा है, फिर भी अभी तक अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह [illegible] है कि [illegible] तरीके से तैयारी एवं भारत सरकार के दिशानिर्देश का

पालन करते हुए पूर्णनिष्ठा के साथ कार्य किया जावे। अतः मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हेतु अधिकारियो, कर्मचारियों, सुपरवाईजर, दवा सेवक एवं अन्य सहयोगी सदस्यों सहित सभी को स्पष्ट रूप से अवगत करावें कि गोली का सेवन अनिवार्य रूप से दवासेवक अपने समक्ष में कराना सुनिश्चित करेंगे तथा दवा का वितरण नहीं करें एवं जिले को फायलेरिया बीमारी से मुक्त करने हेतु सक्रिय सहयोग प्रदान करे। उपरोक्तानुसार जारी दिशा निर्देश के दृष्टिगत बेहतर कार्ययोजना तैयार कर केलेन्डर ऑफ एक्टीविटी सहित आगामी 03 दिवस के भीतर राज्य कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उक्त के संबंध में आवश्यक राशि आवंटन एवं वित्तीय दिशानिर्देश पूर्व में ही कार्यालयीन पत्र क्रमांक / व्ही.बी.डी. / डी–4 / 2021 / 1548–1549 भोपाल दिनांक 10.12.2021 द्वारा प्रेषित किये गये हैं तदानुसार गतिविधि संपादित की जावे।

24/01/2022

(डॉ. संतोष जैन)
अपर संचालक (व्ही.बी.डी.सी.पी.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।

क्रमांक / व्ही.बी.डी. / डी–4 / 2022 **भोपाल, दिनांक..................**

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव (स्वास्थ्य), मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
4. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
5. निदेशक, एन.सी.व्ही.बी.डी.सी. दिल्ली– 110054
6. डॉ. नूपुर राय, अतिरिक्त निदेशक, एन.सी.व्ही.बी.डी.सी. . दिल्ली– 110054
7. डॉ. छवि पंत जोशी, संयुक्त निदेशक, एन.सी.व्ही.बी.डी.सी. दिल्ली– 110054
8. संचालक (वित्त) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
9. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार, विद्यानगर, भोपाल म.प्र.
10. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, व्ही.बी.डी.सी.पी. / स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
11. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें संभाग, सागर, मध्यप्रदेश।
12. कीटविज्ञानी, झोन इंदौर / भोपाल, मध्यप्रदेश।
13. जिला कलेक्टर जिला टीकमगढ़ / निवाड़ी, मध्यप्रदेश।
14. डॉ. देवेन्द्र सिंह तोमर, डब्लू.एच.ओ. एन.टी.डी. स्टेट कॉओर्डिनेटर, मध्यप्रदेश।
15. राज्य सलाहकार (कीटविज्ञानी, एम.एण्ड.ई., वित्तीय प्रबंधन.) व्ही.बी.डी.सी.पी / एन.एच.एम, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
16. जिला कार्यक्रम अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला **टीकमगढ / निवाडी, की ओर लेख है कि मॉस ड्रग** एडमिनिस्ट्रेशन की गतिविधि के गुणवत्ता पूर्ण क्रियान्वयन मे सहयोग प्रदान करे।

अपर संचालक (व्ही.बी.डी.सी.पी.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।

पालन करते हुए पूर्णनिष्ठा के साथ कार्य किया जावे। अतः मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हेतु अधिकारियो, कर्मचारियों, सुपरवाईजर, दवा सेवक एवं अन्य सहयोगी सदस्यों सहित सभी को स्पष्ट रूप से अवगत करावें कि गोली का सेवन अनिवार्य रूप से दवासेवक अपने समक्ष में कराना सुनिश्चित करेंगे तथा दवा का वितरण नहीं करे एवं जिले को फायलेरिया बीमारी से मुक्त करने हेतु सक्रिय सहयोग प्रदान करे। उपरोक्तानुसार जारी दिशा निर्देश के दृष्टिगत बेहतर कार्ययोजना तैयार कर केलेन्डर ऑफ एक्टीविटी सहित आगामी 03 दिवस के भीतर राज्य कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उक्त के संबंध में आवश्यक राशि आवंटन एवं वित्तीय दिशानिर्देश पूर्व मे ही कार्यालयीन पत्र क्रमाक / व्ही.बी.डी. / डी–4 / 2021 / 1548 –1549 भोपाल दिनांक 10.12.2021 द्वारा प्रेषित किये गये हैं तदानुसार गतिविधि संपादित की जावे।

//

(डॉ. संतोष जैन)
अपर संचालक (व्ही.बी.डी.सी.पी.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।

क्रमांक / व्ही.बी.डी. / डी–4 / 2022/64 भोपाल, दिनांक 24/01/2022

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव (स्वास्थ्य), मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
4. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
5. निदेशक, एन.सी.व्ही.बी.डी.सी. दिल्ली– 110054
6. डॉ. नूपुर राय, अतिरिक्त निदेशक, एन.सी.व्ही.बी.डी.सी. . दिल्ली– 110054
7. डॉ. छवि पंत जोशी, संयुक्त निदेशक, एन.सी.व्ही.बी.डी.सी. दिल्ली– 110054
8. संचालक (वित्त) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
9. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार, विधानगर, भोपाल म.प्र.
10. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, व्ही.बी.डी.सी.पी. / स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
11. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें संभाग, सागर, मध्यप्रदेश।
12. कीटविज्ञानी, झोन इंदौर / भोपाल, मध्यप्रदेश।
13. जिला कलेक्टर जिला टीकमगढ़ / निवाड़ी, मध्यप्रदेश।
14. डॉ. देवेन्द्र सिंह तोमर, डब्लू.एच.ओ. एन.टी.डी. स्टेट कॉओर्डिनेटर, मध्यप्रदेश।
15. राज्य सलाहकार (कीटविज्ञानी, एम.एण्ड.ई., वित्तीय प्रबंधन,) व्ही.बी.डी.सी.पी / एन.एच.एम, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
16. जिला कार्यक्रम अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ़ / निवाड़ी, की ओर लेख है कि मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की गतिविधि के गुणवत्ता पूर्ण क्रियान्वयन मे सहयोग प्रदान करे।

24/01/2022

अपर संचालक (व्ही.बी.डी.सी.पी.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।